प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश ऊर्फ सत्ते पुत्र श्री भोपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-7369/2019 सतीश उर्फ सब्बे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 25.08.2020 का संदर्भ ले, जिसका क्रियात्मक अंश निम्वत है:-

In view of the above, we direct the respondent-State to consider afresh the cases of the petitioners herein for their premature release in terms of our order dated 08.06.2020 and pass an appropriate order in that regard within a period of one week from today. The same be placed before us on the next date of hearing.

उपरिसंदर्भित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में उल्लिखित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 08.06.2020 का क्रियात्मक अंश निम्नलिखित है:-

Taking into consideration the submissions made by the learned counsel appearing for the parties, we direct the learned counsel appearing for the State of U.P. to consider the case of the petitioner (Satish @ Sabbe) in Special Leave Petition (Crl.) No.7369 of 2019, which is stated to be pending before the State, as also the case of the petitioner (Vikky Alias Vikendra Alias Virendra) in Special Leave Petition (Crl.) No.8326 of 2019, which was earlier rejected by the said State, for their premature release as per the Jail Manual, within a period of four weeks from today and place the orders before this Court.

2- मा0 सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 25.08.2020 के परिपालन हेतु आपको निर्गत शासन के पत्र सं0-809/22-2-2020-21(55)/2019, दिनांक 25.08.2020 में अपेक्षित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में अपने पत्र संख्या-21443/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-27.08.2020) दिनांक 27.08.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

3- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश ऊर्फ सत्ते पुत्र श्री भोपाल, ग्राम-खेड़ी पट्टी, थाना-भौरा कलां, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल पता ग्राम-खेडी पट्टी, थाना-बाबरी, जनपद-शामली का निवासी है। प्रश्नगत बन्दी का अपराध 22 वर्षीय युवक के अपहरण से सम्बन्धित है। अभियोगी नैपाल सिंह ने दिनांक 13-06-2002 को थाना-कविनगर, जिला-गाजियाबाद में अपने पुत्र विशाल की गुमशुदगी की लिखित सूचना दी कि उनका छोटा पुत्र विशाल दिनांक 12.06.2002 को एक घंटे में वापस आने को कहकर स्कूटर से अपने घर से गया था, लेकिन वापस नहीं आया। पुलिस द्वारा विशाल की तलाश की जाती रही। इसी बीच अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 04.07.2002 को अपहृत विशाल से फिरौती की रकम दो करोड़ देने की मांग वाला पत्र वादी को भेजा गया, जिसे वादी द्वारा दिनांक 04.07.2002 को थानाध्यक्ष कविनगर को दिया गया। दिनांक 14.07.2002 को थाना-कविनगर की पुलिस द्वारा मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर थाना-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कविनगर क्षेत्र में स्थित मकान संख्या-के0एल0-153 से अपहृत विशाल को बरामद तथा अभियुक्त रामवीर को मय फिरौती की धनराशि रू0 31 लाख 70 हजार गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के समय शेष तीनों अभियुक्तगण अशोक, सतीश उर्फ सत्ते एवं विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र उक्त मकान से भाग गये थे।

4- उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1033/2002 में भा0द0वि0 की धारा-364**ए**/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी01, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 05.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा यथावत रखा गया। तथा सत्र परीक्षण संख्या-129/2002 में धारा-**2**/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-4)/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), गाजियाबाद द्वारा 05 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2020 तक 16 वर्ष, 09 माह, 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 11 माह, 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु दिनांक 25.08.2020 को 54 वर्ष है।

5- पुलिस अधीक्षक, शामली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या दिनांकित 26.08.2020 में बन्दी को शारीरिक रूप से अशक्त नहीं होने तथा पुन: अपराध कारित करने में समर्थ होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शामली की फार्म-ए पर आख्या के अनुसार उसके पूर्ववृत्त अपराध की जघन्यता के दृष्टिगत पुन: अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की है, जिसका व्यापक प्रभाव समाज एवं पीडित पक्ष पर पडने की सम्भावना है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या दिनांकित 26.08.2020 में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी की आयु के दृष्टिगत जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति सामान्य होने तथा फार्म-ए पर रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

6- प्रश्नगत अपहरण एवं फिरौती की घटना में बन्दी सतीश उर्फ सत्ते (सब्बे) पुत्र श्री भोपाल लिप्त था। इस सम्बन्ध में घटना के जनपद-गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार बन्दी सतीश उर्फ सत्ते(सब्बे) शातिर किस्म का खतरनाक अपराधी है जिसकी समयपूर्व रिहाई से वादी पक्ष को जान-माल का खतरा है तथा बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है, बन्दी सतीश उर्फ सत्ते (सब्बे) विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र का सहअभियुक्त है।

7- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 12-06-2002 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फिरौती की रकम वसूलने के लिए नैपाल सिंह के पुत्र विशाल का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, आयु, बन्दी द्वारा समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले आपराधिक कृत्य, वादी पक्ष को जानमाल की हानि की गम्भीर आशंका तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सतीश ऊर्फ सत्ते पुत्र श्री भोपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- अत: विशेष अनुज्ञा अपील (क्रि0) संख्या-7369/2019 सतीश ऊर्फ सत्ते बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों दिनांक 08.06.2020 तथा 25.08.2020 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश ऊर्फ सत्ते (बन्दी संख्या-12110) पुत्र श्री भोपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली को फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार कर दी** गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-346/2020/825(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री सर्वेश सिंह बघेल, एडवोकेट आंन रिकार्ड, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 25.08.2020 के संदर्भ में।
2- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-शामली।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-346/2020/825/22-2-2020-17(166)/2020

दिनांक 01 सितम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश ऊर्फ सत्ते पुत्र श्री भोपाल, ग्राम-खेड़ी पट्टी, थाना-भौरा कलां, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल पता ग्राम-खेडी पट्टी, थाना-बाबरी, जनपद-शामली का निवासी है। प्रश्नगत बन्दी का अपराध 22 वर्षीय युवक के अपहरण से सम्बन्धित है। अभियोगी नैपाल सिंह ने दिनांक 13-06-2002 को थाना-कविनगर, जिला-गाजियाबाद में अपने पुत्र विशाल की गुमशुदगी की लिखित सूचना दी कि उनका छोटा पुत्र विशाल दिनांक 12.06.2002 को एक घंटे में वापस आने को कहकर स्कूटर से अपने घर से गया था, लेकिन वापस नहीं आया। पुलिस द्वारा विशाल की तलाश की जाती रही। इसी बीच अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 04.07.2002 को अपहृत विशाल से फिरौती की रकम दो करोड़ देने की मांग वाला पत्र वादी को भेजा गया, जिसे वादी द्वारा दिनांक 04.07.2002 को थानाध्यक्ष कविनगर को दिया गया। दिनांक 14.07.2002 को थाना-कविनगर की पुलिस द्वारा मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर थाना-कविनगर क्षेत्र में स्थित मकान संख्या-के0एल0-153 से अपहृत विशाल को बरामद तथा अभियुक्त रामवीर को मय फिरौती की धनराशि रू0 31 लाख 70 हजार गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के समय शेष तीनों अभियुक्तगण अशोक, सतीश उर्फ सत्ते एवं विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र उक्त मकान से भाग गये थे।

3- उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1033/2002 में भा0द0वि0 की धारा-364**ए**/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी01, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 05.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा यथावत रखा गया। तथा सत्र परीक्षण संख्या-129/2002 में धारा-**2**/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-4)/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), गाजियाबाद द्वारा 05 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2020 तक 16 वर्ष, 09 माह, 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 11 माह, 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु दिनांक 25.08.2020 को 54 वर्ष है।

4- पुलिस अधीक्षक, शामली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या दिनांकित 26.08.2020 में बन्दी को शारीरिक रूप से अशक्त नहीं होने तथा पुन: अपराध कारित करने में समर्थ होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शामली की फार्म-ए पर आख्या के अनुसार उसके पूर्ववृत्त अपराध की जघन्यता के दृष्टिगत पुन: अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की है, जिसका व्यापक प्रभाव समाज एवं पीडित पक्ष पर पडने की सम्भावना है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या दिनांकित 26.08.2020 में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी की आयु के दृष्टिगत जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति सामान्य होने तथा फार्म-ए पर रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- प्रश्नगत अपहरण एवं फिरौती की घटना में बन्दी सतीश उर्फ सत्ते (सब्बे) पुत्र श्री भोपाल लिप्त था। इस सम्बन्ध में घटना के जनपद-गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार बन्दी सतीश उर्फ सत्ते (सब्बे) शातिर किस्म का खतरनाक अपराधी है जिसकी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समयपूर्व रिहाई से वादी पक्ष को जान-माल का खतरा है तथा बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है, बन्दी सतीश उर्फ सत्ते (सब्बे) विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र का सहअभियुक्त है।

6- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 12-06-2002 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फिरौती की रकम वसूलने के लिए नैपाल सिंह के पुत्र विशाल का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, आयु, बन्दी द्वारा समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले आपराधिक कृत्य, वादी पक्ष को जानमाल की हानि की गम्भीर आशंका तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सतीश ऊर्फ सत्ते पुत्र श्री भोपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।